उत्तर प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1 (छात्रवृत्ति)/2013

लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर,2017

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012, कार्यालय जाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी,2013 द्वारा जारी की गयी है,जो शैक्षिक सत्र-2012-13 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के संगत प्राविधानों में प्रथम संशोधन शासनादेश संख्या-61-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 14 फरवरी,2013, द्वितीय संशोधन कार्यालय जाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 20 नवम्बर,2013, तृतीय संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 23 सितम्बर,2014 तथा चतुर्थ संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 19 अगस्त,2016 द्वारा किया गया है।

2- निदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र संख्या-977/पि0व0क0/2017-18, दिनांक 14 अगस्त,2017 द्वारा योजनान्तर्गत नियमावली के संगत प्राविधानों में कतिपय अन्य आवश्यक संशोधन किये जाने सम्बन्धी उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 जनवरी,2013, शासनादेश दिनांक 14 फरवरी,2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 नवम्बर, 2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 सितम्बर, 2014 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 अगस्त,2016 के संगत प्राविधानों को तात्कालिक

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017

		वर्तग	मान नियम		प्रतिस्थापित नियम			
1	नाम		यह नियमावली उत्तर प्रदेश	1	नाम	यह '	नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा	
			अन्य पिछड़ा वर्ग			वर्ग(३	अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)	
			(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को			दशमं	ोतर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम	
			छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/			संशोध	धन)नियमावली,2017 कहलायेगी।	
			शुल्क प्रतिपूर्ति (चतुर्थ					
			संशोधन) नियमावली,2016		X	0		
			कहलायेगी।		251			
5				5	समूह	(X)	समूह 1, 2, 3, 4 से तात्पर्य	
						(ক)	निम्नानुसार है:-	
							<u>समूह 1-</u> से तात्पर्य स्नातक एवं	
							परास्नातक स्तर के समस्त	
							तकनीकी पाठ्यक्रम से है।	
							<u>समूह 2</u> - से तात्पर्य परास्नातक	
			100				स्तर के गैर तकनीकी/व्यवसायिक	
							पाठ्यक्रम से है।	
			12,				सम्ह 3- से तात्पर्य स्नातक स्तर	
							के गैर तकनीकी/व्यवसायिक	
							पाठ्यक्रम से है।	
	X	3					समूह ४- से तात्पर्य इण्टर एवं	
	X						समकक्ष स्तर के समस्त	
							तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम	
							से है।	
5	शुल्क/	(K)	1-''शुल्क'' का तात्पर्य ऐसी	5	शुल्क/	(Xi)	(1) ''शुल्क'' का तात्पर्य ऐसी	
	फीस		अनिवार्य धनराशि से है, जो		फीस		अनिवार्य धनराशि से है, जो	
			अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या				अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या	
			विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को				विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को	

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अल्लगंत प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पंजीकरण, परीक्षा, जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होगे। 2-जिल मान्यता पास संस्थानों में भान्यता पास पार्व्यक्रमों में शुल्क इसमें पाय्यक्रमों में शुल्क इसमें पाय्वक्रमों में शुल्क इसमें पाय्वक्रमों में शुल्क सरचना निर्धारित करने की शिक्ष केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम पाय्वक्रमों की अनुमोदित सीट के सायेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम पाय्वक्रमों की अनुमोदित सीट के सायेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम पाय्वकारी वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा किए किए मेरी अथवा नीचे उल्लिखत समूह्या निर्धारित धनराशि में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जानेवार 2 (1) - समूह-1 के पाय्वक्रमों हेतु अंनलाइन एमजूनित आवेदन पत्र के विवारों व वांची। (2(1) - समूह-1 के पाय्वक्रमों हेतु अंनलाइन एमजूनित आवेदन पत्र के विवारों व वांची। (2(1) - समूह-1 के पाय्वक्रमों हेतु अंनलाइन एमजूनित आवेदन पत्र के वांची। (2(1) - समूह-1 के पाय्वक्रमों हेतु अंनलाइन एमजूनित आवेदन पत्र के वांची।	Π Π			Г	1		
कैसी वापस की जाले वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइबेरी, पित्रका, चिकित्सा जॉच और ऐसे अन्य अिनवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क और जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मितित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क इंसमें सम्मितित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क इंसमें सम्मितित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क इंसमें सम्मितित नहीं होंगे। 4 के नन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम पार्थिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम पार्थिकारी हारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अिनवार्य व वापस न की जाने वाली अिनवार्य व वापस न की जाने वाली अिनवार्य व वापस न की जाने वाली अलिवार्य व वापस न की अल्वार कि अलिवार्य व वापस न की जान कि अलिवार्य व वापस न की अलिवार्य व वापस न कि अलिवार्य व			•				· ·
धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूलियन, लाइब्रेरी, पित्रका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अलिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क और जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल नहीं होगी। छप्रजावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होगे। याज्य सरकार के सक्षम पार्थिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पार्थिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त पार्थिकारी हो संचालित मान्यता प्राप्त पार्थिकारी हो सन्य पार्थिकारी हो संचालित मान्यता प्राप्त पार्थिकारी हो संचालित मान्यता प्राप्त पार्थिकारी हो सन्य पार्थिकारी हो सन्य पार्थिकारी हो सा अनुमोदित शुल्क संचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा हो वाली पार्थिकारी हो से, जो भी कम हो, की पतिपूर्ति की जायेगी। हिल्ल कि राशि अथवा हिल्ल कि पार्थिकारी हो सम्मूह्यार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की पतिपूर्ति की जायेगी।			तथापि जमानती जमा राशि				जमानती जमा राशि जैसी वापस
होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूलियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जाँच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। उप्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में भान्यता प्राप्त पंत्रक्षमां में शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त पंत्रक्षमां ने भान्यता प्राप्त पंत्रकामों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक्त केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त पंत्रकामों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुमादित शुल्क की राशि अथवा हल की राशि की सहार की याज की			जैसी वापस की जाने वाली				की जाने वाली धनराशि इसमें
प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जाँच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क हिम सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में भान्यता प्राप्त पार्यक्रमों में शुल्क के शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम पार्थक्रमों में शुल्क के हैं, उन मान्यता प्राप्त पार्यक्रमों के अनुमोदित सीट के साम्य पार्थक्रमों के अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुमादित शुल्क संरचना के अनुमादित शुल्क संरचना के अनुमाद ले जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा केन्द्र की राशि अथवा के हो तो प्राप्त संस्थानों में संमुहना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा के हो तो प्रार्थित कि जायेगी। 2(i) - सम्रह-1 के पार्यक्रमों हेतु			धनराशि इसमें शामिल नहीं				शामिल नहीं होगी। शुल्क के
शिक्षा, खेल, य्नियन, लाइब्रेरी, पित्रका, चिकित्सा जाँच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में भान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम पाधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा निर्धारित धन्तराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। 2(i) - सम्हर-1 के पाठ्यक्रमों हेतु			होगी। शुल्क के अन्तर्गत				अन्तर्गत प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा,
लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जाँच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमल्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक्त केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम पाठ्यक्रमों की अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा हु कि राशि अथवा हु की राशि अथवा हु हु की पाठ्यक्रमों हैतु शिक्त की जावेगी।			प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा,				शिक्षा, खेल, लाइब्रेरी और ऐसे
जाँच और ऐसे अन्य अनिवार्थ व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शित्त केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम पाधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम पार्यक्रमों की अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राश अथवा रु० 50000/-में से, जो भी			शिक्षा, खेल, यूनियन,				अन्य अनिवार्य व वापस न किए
अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त पंत्र्य पंत्र्य पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्वान्त प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा कुक की राशि अथवा कुल की राशि अथवा कुण की पाठ्यक्रमों हैतु			लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा				जाने वाला शुल्क आदि, जो सक्षम
जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक्त केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित साट्यक्रमों की अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुमादित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रूठ 50000/-में से, जो भी कम हो, की पाठ्यक्रमों हेतु			जॉच और ऐसे अन्य				स्तर से अनुमन्य हो, शामिल
सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त फीस पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक्त केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राश अथवा कि जानेगी। हण 500000/-में से, जो भी			अनिवार्य व वापस न की				होगा। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे
शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिल माल्यता प्राप्त 5 शुल्क/ (प्रं) 2- जिल माल्यता प्राप्त संस्थानों में संस्थानों में माल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक्त केल्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन माल्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित माल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांचिलत माल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ती जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ह0 50000/-में से, जो भी			जाने वाली शुल्क आदि, जो				शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सिम्मिलित नहीं होंगे। 2-जिल माल्यता प्राप्त 5 शुल्क/ (प्रं) 2- जिल माल्यता प्राप्त संस्थानों में संस्थानों में माल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक्त केल्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन माल्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित माल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांचित काल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांचित काल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांचित काल्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ती जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित सम्हवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। हुल 50000/-में से, जो भी			सक्षम स्तर से अनुमन्य हो				
प्रिक्मिलित नहीं होंगे। 2-जिन मान्यता प्राप्त 5 शुल्क / (प्रं) 2- जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचता निर्धारित करने की शिक्त केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सोट के सांचिकत मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सोट के सांचिक सार्थे पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सोट के सांचिक सार्थे अगुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा क्रि अथवा के स्मृह्वार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ₹0 50000/-में से, जो भी 2- जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में शुल्क में राठ्यक्रमों हेतु			शामिल होगी। छात्रावास/		10		
2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांधानित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांधानित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांधानित मान्यता प्राप्त के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। हुए 50000/-में से, जो भी प्रत्यक्रमों हेतु			मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें				
संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांचिलत मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांचिलत मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेट के सांपेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखत समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ह0 50000/-में से, जो भी			सम्मिलित नहीं होंगे।		0)	,	
पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शिक केन्द्र या राज्य सरकार के प्रक्षिम केन्द्र या राज्य सरकार के प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सांपेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीट के सांपेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा का भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रह्म के पाठ्यक्रमों हेतु			2-जिन मान्यता प्राप्त	5	शुल्क/	(K)	2- जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में
निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व सम्हवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ह0 50000/-में से, जो भी			संस्थानों में मान्यता प्राप्त		फीस		मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क
केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त मंस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राश अथवा कि म्हर सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली शुल्क की राश अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराश में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। हुए 50000/-में से, जो भी (1) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु			पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना	J			संरचना निर्धारित करने की शक्ति
सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रू० 50000/-में से, जो भी			निर्धारित करने की शक्ति				केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम
मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राश अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराश में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रु० 50000/-में से, जो भी पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ती जाने वाली राश अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराश में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रु० 50000/-में से, जो भी			केन्द्र या राज्य सरकार के				प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त
संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। $50 50000/-मों सो, जो भी 2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु$			सक्षम प्राधिकारी को है, उन				संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त
पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राश अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराश में से, वापस न की जाने वाली शुल्क की राश अथवा जायेगी। रु० 50000/-में से, जो भी किम हो, के पाठ्यक्रमों हेतु			मान्यता प्राप्त संस्थानों में				पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के
सीट के सापेक्ष राज्य अथवा के केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रु० 50000/-में से, जो भी अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली शुल्क की राशि अथवा जायेगी। रु० 50000/-में से, जो भी (2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु			संचालित मान्यता प्राप्त				सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार
केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली समूहवार निर्धारित धनराशि में से, वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रु० 50000/-में से, जो भी			पाठ्यक्रमों की अनुमोदित				के सक्षम प्राधिकारी द्वारा
प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रु० 50000/-में से, जो भी			सीट के सापेक्ष राज्य अथवा				अनुमोदित शुल्क संरचना के
शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रु० 50000/-में से, जो भी (2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु		1.	केन्द्र सरकार के सक्षम				अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व
ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रू० 50000/-में से, जो भी 2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु		7	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित				वापस न की जाने वाली शुल्क की
ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रू० 50000/-में से, जो भी 2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु			शुल्क संरचना के अनुसार				राशि अथवा नीचे उल्लिखित
शुल्क की राशि अथवा रु० 50000/-में से, जो भी 2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु							समूहवार निर्धारित धनराशि में से,
रु० 50000/-में से, जो भी 2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु			वापस न की जाने वाली				जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की
			शुल्क की राशि अथवा				जायेगी।
कम हो, की प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के			रु० 50000/-में से, जो भी				2(İ) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु
			कम हो, की प्रतिपूर्ति की				ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	जायेगी।		सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा
			भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-
			रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि
			अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम
			प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित
			वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल
			शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा
			छात्र से जमा करायी गयी शुल्क
			की निर्धारित धनराशि अथवा
			रू० 50000/- में से, जो भी
			न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क
			प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक
			खाते में सीधे अन्तरित की
		(C)	जाएगी।
		10,2	2(İİ) - समूह-2 के पाठ्यक्रमों
		\sim	हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन
			पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र
		J	द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य
			नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि
	200.		अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम
	100		प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित
			वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल
	/2,		शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा
			छात्र से जमा करायी गयी शुल्क
			की निर्धारित धनराशि अथवा रू०
. x 10			30000/- में से, जो भी न्यूनतम
XV			धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे
			अन्तरित की जाएगी।
			2(iii) - समूह-3 व 4 के
			पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति
			आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम
			में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक
			न छात धारा नरा गया पापिप

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

						अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की
						धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु
						सक्षम प्राधिकारी स्तर से
						अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-
						रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण
						संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी
						गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि
						अथवा तकनीकी डिप्लोमा कोर्सीं
						हेतु रू० 20000/- तथा गैर
						तकनीकी कोर्सों/ 01वर्षीय
						सर्टिफिकेट कोर्सों हेतु रू०
						10000/- में से, जो भी न्यूनतम
					10	धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के
						रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे
					03	अन्तरित की जाएगी।
			3- जिन निजी क्षेत्र के	7		3- जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में
			संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी		5	सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता
			स्तर से मान्यता प्राप्त	J		प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली
			पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली			जाने वाली शुल्क के निर्धारण की
			जाने वाली शुल्क के निर्धारण			शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को
			की शक्ति स्वयं शिक्षण			प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में
			संस्थान को प्राप्त है, उन			अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के
			पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत			किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता
			छात्रों को प्रदेश के किसी			प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में
			अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता			उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित
		1.	प्राप्त संस्थान में उसी			राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित
		7	पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश			पाठ्यक्रमों (स्ववित्त पोषित
			सरकार द्वारा संचालित राज्य			पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में
			विश्वविद्यालयों के नियमित			निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा
			पाठ्यक्रमों(स्ववित्त पोषित			संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने
			पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में			वाले शुल्क की धनराशि अथवा
			निर्धारित न्यूनतम शुल्क			उपरिलिखित समूहवार निर्धारित
			अथवा संबंधित संस्था द्वारा			धनराशि में से, जो भी कम हो, की
I	i l				<u>I</u>	<u> </u>

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			A A				
			लिए जाने वाले शुल्क की				प्रतिपूर्ति की जायेगी।
			धनराशि अथवा रु० 50000/-				
			में से,जो भी कम हो,की				
			प्रतिपूर्ति की जायेगी।				
			4- प्रदेश के विश्वविद्यालयों से				4- प्रदेश के विश्वविद्यालयों से
			सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के				सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के
			मान्यता प्राप्त संस्थानों में				मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित
			संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क				पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम
			सक्षम प्राधिकारी स्तर से				प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं
			निर्धारित नहीं है, उन				है, उन संस्थानों में संचालित
			संस्थानों में संचालित				पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी
			पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के			1	राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित
			किसी भी राज्य		\		उसी पाठ्यक्रम (स्ववित पोषित
			विश्वविद्यालयों में संचालित				पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में
			उसी पाठ्यक्रम (स्ववित		03		निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा
			पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते	6			संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी
			हुए) में निर्धारित न्यूनतम		J		गयी वास्तविक फीस अथवा
			शुल्क अथवा संस्था द्वारा	J			उपरिलिखित समूहवार निर्धारित
			छात्रों से जमा करायी गयी				धनराशि में से, जो भी कम हो, की
			वास्तविक फीस अथवा रु0				प्रतिपूर्ति की जायेगी।
			50000/- में से, जो भी कम				
			हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।				
			5-आनलाइन छात्रवृत्ति				5- आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र
			आवेदन पत्र के सम्बन्धित				के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा
			कालम में छात्र द्वारा भरी				भरी गयी वार्षिक अनिवार्य
	Y	2,	गयी वार्षिक अनिवार्य नान-				नान.रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि
	X	7	रिफण्डेबुल शुल्क की				अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम
V			धनराशि अथवा पाठ्यक्रम				प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित
			हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से				वार्षिक अनिवार्य नान.रिफण्डेबुल
			अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य				शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा
			नान-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा				छात्र से जमा करायी गयी शुल्क
			शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से				की वास्तविक धनराशि अथवा
			जमा करायी गयी शुल्क की				उपरिलिखित समूहवार निर्धारित
I			5				· · ·

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			1		
	वास्तविक धनराशि अथवा				धनराशि में से, जो भी न्यूनतम
	रु० 50000/- में से, जो भी				धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के
	न्यूनतम धनराशि होगी,				रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे
	शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में				प्रतिपूर्ति की जायेगी।
	छात्र के बैंक खाते में सीधे				
	प्रतिपूर्ति की जायेगी।				
	6- शासकीय एवं शासकीय				6- शासकीय एवं शासकीय सहायता
	सहायता प्राप्त शिक्षण				प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थानों/
	संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में				निजी विश्वविद्यालयों में संचालित
	संचालित स्ववित्तपोषित				स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की फीस
	पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति				प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों/
	उन्ही शिक्षण संस्थानों/		10		विश्वविद्यालयों में संचालित रेगुलर
	विश्वविद्यालयों में संचालित				पाठ्यक्रम की फीस के बराबर
	उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश		03		प्रदान की जायेगी। यदि संबंधित
	सरकार द्वारा संचालित राज्य				शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में
	विश्वविद्यालयों के नियमित)		उक्त पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम
	पाठ्यक्रमों में निर्धारित)			के रूप में संचालित नहीं है तब
	न्यूनतम शुल्क अथवा				प्रदेश स्तर पर सम्बन्धित शिक्षण
	सम्बन्धित शिक्षण संस्था				संस्थान/ विश्वविद्यालय की श्रेणी
	द्वारा लिये जाने वाले शुल्क				के अन्य शिक्षण संस्थानों/
	की धनराशि अथवा				विश्वविद्यालयों में संचालित रेगुलर
	रु0 50000/- में से ,जो भी				पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से
	कम हो, की प्रतिपूर्ति की				निर्धारित फीस धनराशि में से
	जायेगी।				सबसे न्यूनतम धनराशि अथवा
					उपरोक्त वर्णित समूहवार कोर्सीं हेतु
CXX					निर्धारित फीस, में से जो भी कम
					होगी, प्रदान की जायेगी।
5 (Xii)	क- शिक्षण संस्थानों में			5	(क) शिक्षण संस्थानों में फीस
	फीस निर्धारण के लिए			(iik)	निर्धारण के लिए अधिकृत राज्य
	अधिकृत राज्य सरकार के				सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय
	संबंधित प्रशासकीय विभागों				विभागों यथा-तकनीकी शिक्षा,
	यथा-तकनीकी शिक्षा,				मेडिकल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा
1 77 077	। स्वादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस ए			-0. A·	

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिकशिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम से निर्धारित स्तर पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण संबंधी आदेशों पत्येक वर्ष दिनांक 15 जुलाई तक निदेशक समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर स्रक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर संबंधित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज अधिकारियों कल्याण उपलब्ध करायी जायेगी। यदि निर्धारित तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विगत वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम की सक्षम स्तर से निर्धारित फीस को वर्तमान वर्ष की मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/ महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति वर्ष निदेशक समाज प्रत्येक कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर स्रक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिए शुल्क निर्धारित किया जाता है विशेष यदि किसी वर्ष में आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अंतिम भरने की तिथि विभागों प्रशासकीय फीस द्वारा निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति निर्धारित दारा सामान्य अथवा नियम 5(Xi) में दी गई व्यवस्थान्सार जो कम हो का भ्गतान किया जाएगा।

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5	शिक्षण				शिक्षण	5	तकनीकी प्रबन्धन से सम्बन्धित
	संस्थान				संस्थान में	(Xi	ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिनकी
	में				अनुमन्य	ii)	फीस, प्रवेश एवं फीस नियमन
	अनुमन्य				शुल्क के		समिति निर्धारित नहीं करती है
	शुल्क के				अभिलेखों		उन पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के
	अभिलेखों				का एकत्री		समकक्ष पाठ्यक्रम में फीस
	का				करण व		नियमन समिति द्वारा निर्धारित
	एकत्री				संरक्षी		शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
	करण व				करण		
	संरक्षी						
	करण						
			यह छात्रवृत्तियां		अर्हता	6	यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित
			निम्नलिखित अपवादों को			(ii)	अपवादों को छोडकर मान्यता
		(ii)	छोडकर मान्यता प्राप्त		C		प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले
			संस्थानों में पढ़ाये जाने		03		सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या
			वाले सभी मान्यता प्राप्त	6			सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में
			दशमोत्तर या सेकेन्ड्री के		J		अध्ययन के लिए दी जायगी :-
			बाद के पाठ्यक्रमों में	J.			
			अध्ययन के लिए दी				(क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर
			जायगी :-				पाठ्यक्रम ।
			(क) विमान अनुरक्षण				(ख) निजी विमान चालक
6			इंजीनियर पाठ्यक्रम ।				लाइसेंस पाठ्यक्रम।
	अहेता		(ख) निजी विमान				(ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन
			चालक लाइसेंस				(राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम।
			पाठ्यक्रम।				(घ) सैनिक महाविद्यालय देहरादून
		10	(ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन				के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।
	X	X	(राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम।				(च) अखिल भारतीय तथा राज्य
V			(घ) सैनिक महाविद्यालय				स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण
			देहरादून के प्रशिक्षण				केन्द्रों के पाठ्यक्रम ।
			पाठ्यक्रम ।				(छ) पत्राचार पाठ्यक्रम व सुदूर
			(च) अखिल भारतीय				व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम।
			तथा राज्य स्तरीय पूर्व				(ज) कामर्शियल पायलेट लाइसेंस
			परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों				के पाठ्यक्रम (CPL)।

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Ì	ĺ	1					
			के पाठ्यक्रम ।				(झ) निजी क्षेत्र के शिक्षण
			(छ) पत्राचार पाठ्यक्रम				संस्थानों में संचालित ऐसे
			व सुदूर व अनुवर्ती				पाठ्यक्रम जिनको किसी
			शिक्षा के पाठ्यक्रम।				विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग
			(ज) कामर्शियल पायलेट				बाडी/ सक्षम विभाग स्तर से
			लाइसेंस के पाठ्यक्रम				सर्टिफिकेट/अंक पत्र प्रदान नहीं
			(CPL) I				किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से
							परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी
							अधिकृत न हो अर्थात ऐसे
							पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर
							से नियंत्रित नहीं किये जाते।
6	अर्हता	(XV ii)	यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम	6	अर्हता	(XV ii)	यदि कोई छात्र गत वर्ष छात्रवृति
		11)	को अधूरा छोड़कर किसी			11)	अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने
			दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश				के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा
			लेता है, तो वह नये		03		छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में
			पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में	6			प्रवेश लेता है, तो वह नये
			छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति		J		पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति
			हेतु अनर्ह होगा। छात्र के	J			व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
			अभिभावक द्वारा शपथ पत्र				छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र
			से औचित्य प्रमाणित होने				से औचित्य प्रमाणित होने तथा
			तथा नये पाठ्यक्रम में				नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी
			अध्ययन जारी रखने पर				रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे
			नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष				वर्ष से नये छात्र के रूप में
			से नये छात्र के रुप में				छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु
			छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति				पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम की
		1	हेतु पात्र होगा। पुन:				छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु
	X	K	पाठ्यक्रम परिवर्तन करने				अनर्ह होगा।
V			पर छात्र नये पाठ्यक्रम की				
			छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति				
	•		हेतु अनर्ह होगा।				
						(XV iii)	शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या
						111)	उससे ऊपर उपस्थिति वाले
							छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

							शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य
							होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित
							करने का उत्तरदायित्व संस्था का
							होगा। यदि किसी छात्र की
							उपस्थिति ७५ प्रतिशत से कम है
							तो छात्र को भुगतानित शुल्क की
							धनराशि वापस करनी होगी।
9-	मास्टर	(i)	प्रदेश की समस्त शासकीय,	9	मास्टर	(i)	प्रदेश की समस्त शासकीय,
	डाटा बेस	(1)	शासकीय सहायता प्राप्त एवं		डाटा बेस	(1)	शासकीय सहायता प्राप्त एवं
	व संस्था		मान्यता प्राप्त प्राङ्वेट शिक्षण		व संस्था		मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण
	ओं का		संस्थानों को शिक्षण संस्थान		ओं का		संस्थानों को शिक्षण संस्थान से
	पंजी-		से सम्बन्धित समस्त		पंजी-		सम्बन्धित समस्त आवश्यक
	करण		आवश्यक विवरण यथा-		करण कोर्स		विवरण यथा शिक्षण संस्थान का
	कोर्स		शिक्षण संस्थान का नाम,		मास्टर	10	नाम, संचालित पाठ्यक्रम,
	मास्टर				जारदर		पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम
	MICC		संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता,				हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों
			पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर				की संख्या, वार्षिक अनिवार्य नान
			से स्वीकृत सीटों की संख्या,				रिफन्डेबिल शुल्क आदि निर्धारित
			वार्षिक अनिवार्य नान				प्रारुप पर स्वयं आनलाइन भरकर
			रिफन्डेबिल शुल्क आदि				"मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष
			निर्धारित प्रारुप पर स्वयं				31 जुलाई तक सम्मिलित होना
			आनलाइन भरकर ''मास्टर				होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान
			डाटाबेस'' में सम्मिलित				स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर
			होना होगा। प्रत्येक शिक्षण				डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को
			संस्थान स्वयं मास्टर				शामिल कर सकेगें एवं असंचालित
		٠.	डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों				पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें।
	. * \		को शामिल कर सकेगें एवं				मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि
			असंचालित पाठ्यक्रमों को				तक शामिल होने वाले शिक्षण
			स्वयं हटा सकेगें। मास्टर				संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में
			डाटाबेस में निर्धारित तिथि				अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति
			तक शामिल होने वाले				एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेत्
			शिक्षण संस्थानों एवं				आवेदन करने के पात्र होगें। संस्था
			पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत				द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने
			पार्यप्रणा न जण्यपनरत				क्षारा नाज्यसा सनायस जान

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

				1	1	
		छात्र/ छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं				अथवा संस्था को बन्द किये जाने
		शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने				की सूचना दिये जाने पर शिक्षण
		हेतु आवेदन करने के पात्र				संस्थान का नाम मास्टर डाटा से
		होगें। संस्था द्वारा मान्यता				हटाया जायेगा। जिसकी सूचना
		समर्पित किये जाने अथवा				लिखित रूप से समाज कल्याण
		संस्था को बन्द किये जाने				विभाग द्वारा सम्बन्धित जिला
		की सूचना दिये जाने पर				पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/
		अथवा संस्था के विरूद्ध				निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण,
		धनराशि के दुरूपयोग पाये				उ०प्र० को उपलब्ध करायी जायेगी।
		जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट				
		दर्ज होने के पश्चात् शिक्षण				
		संस्थान का नाम मास्टर				
		डाटा से हटाया जायेगा।		10		
				02		
	dis		2		diis	
	(ii)	उक्त मास्टर डाटाबेस में)	(ii)	उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष
		प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे)			केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल
		शिक्षण संस्थान शामिल हो				हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें
		सकेगे जिनकों एवं जिनमें				संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता
		संचालित पाठ्यक्रमों की				एवं सम्बद्धता १५ जुलाई तक
		मान्यता एवं सम्बद्धता 30				सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो।
	1	जून तक सक्षम स्तर से				15 जुलाई के पश्चात् मान्यता/
		प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून				सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण
		के पश्चात मान्यता प्राप्त				संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को
		करने वाले शिक्षण संस्थान				आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर
		एवं पाठ्यक्रमों को आगामी				डाटाबेस में सम्मिलित किया
		वितीय वर्ष में मास्टर डाटा				जायेगा।
		बेस में सम्मिलित किया				
		जायेगा।				

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		4115	मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में			/111x	मास्टर डाटाबेस में प्रदेश के
		(iii)	स्थित शिक्षण संस्थानों,			(iii)	समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण
			शिक्षण संस्थानों में संचालित				संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों,
			पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में				पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की
			स्वीकृत सीटों की संख्या एवं				संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम
			पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से				स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य
			स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य				नान-रिफण्डेबिल शुल्क(फीस) आदि
			नान रिफण्डेबिल शुल्क				का विवरण सम्बन्धित शिक्षण
			(फीस) आदि का विवरण				संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान
			सम्बन्धित शिक्षण संस्थान				केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से
			द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान				उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर
			केन्द्र (एन०आई०सी०) स्तर				निर्धारित तिथि तक स्वयं
			से उपलब्ध कराये गये				आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों
			साफ्टवेयर पर स्वयं				एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से
			निर्धारित तिथि तक		03		मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम
			आनलाइन भरा जायेगा।	C			स्तर से अनुमन्य सीटों से
			मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा		5		सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि
			आनलाइन भरने का पूर्ण	J			पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में
			उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण				सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण
			संस्थान का होगा। संस्थानों				संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड
			एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम				कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में
			स्तर से मान्यता एवं				शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण
			सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से				उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण
			अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित				संस्थान का होगा।
			आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0				
	~ (10	फाइल के रूप में संबंधित				
	X	K	साफ्टवेयर पर शिक्षण				
V			संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये				
			जायेंगे।				
11-	छात्र को		छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति		छात्र को		यथावत
	छात्रवृत्ति	(i)	हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को		छात्रवृत्ति व	(İ)	
	व शुल्क		अनुरक्षण भता एवं शुल्क		शुल्क		
	प्रतिपूर्ति		प्रतिपूर्ति धनराशि का		प्रतिपूर्ति		
	•				<u>.</u>	•	•

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

,						
के		एकमुश्त भुगतान किया	के भुगतान			
भुगतान		जायेगा।	हेतु शिक्षण			
हेतु			संस्थाओं	.! ! .		
शिक्षण	(ii)	सीमित वितीय संसाधनों को	की	(ii)	वि	लोपित
संस्थाओं		दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण	वरीयता			
की		संस्थानों में अध्ययनरत	क्रम का			
वरीयता		छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क	निर्धारण			
क्रम का		प्रतिपूर्ति की धनराषि का			• (
निर्धारण		नवीनीकरण एवं तदोपरान्त				
		नये छात्रो को छात्रवृत्ति एवं				
		शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि		•		
		निम्नांकित वरीयता क्रम में			~	
		बजट की उपलब्धता की	10			
		सीमा तक उनके द्वारा बैंक		/ •		
		में खोले गये बचत खाते में	02)			
		सीधे अन्तरित करके की				
		जायेगी :-)			
		(क) केन्द्र अथवा राज्य			(क)	विलोपित
		सरकार के विभागों/निकायों				
		द्वारा संचालित राजकीय				
		शिक्षण संस्थानों व राजकीय				
		स्वायत्तशासी शिक्षण				
		संस्थानों में अध्ययनरत				
		छात्र/ छात्रायें।				
		(ख) केन्द्र अथवा राज्य			(ख)	विलोपित
	١.	सरकार से शासकीय				
		सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के				
*		शिक्षण संस्थानों में				
		अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें।				
		(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता			(ग)	विलोपित
		प्राप्त शिक्षण संस्थानों के				
		मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में				
		अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें				

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Γ.					7
'	जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र				
	अथवा राज्य सरकार के				
:	सक्षम प्राधिकारी द्वारा				
	अनुमोदित है।				
	(घ) निजी क्षेत्र के ऐसे			(ঘ)	विलोपित
1	शिक्षण संस्थान जिनकी				
	शुल्क संरचना केन्द्र अथवा				
;	राज्य सरकार के सक्षम			` ((
1	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित				
	नहीं है, परन्तु सक्षम स्तर				
,	पर मान्यता प्राप्त है।			O,	
	(च) निजी क्षेत्र के ऐसे			(च)	विलोपित
:	संस्थान जिनकी शुल्क		10		
:	संरचना केन्द्र अथवा राज्य				
:	सरकार के सक्षम प्राधिकारी		0)		
	द्वारा अनुमोदित नहीं है,				
4	किन्तु संस्थान अपने यहाँ				
:	संचालित पाठ्यक्रम की	J			
	शुल्क संरचना स्वयं				
1	निर्धारित किये जाने हेतु				
	अधिकृत है।				
;	नोट- उपरोक्त वरीयता क्रम			नोट-	विलोपित
	में ही बजट की उपलब्धता				
1	के अनुसार धनराशि वितरित				
	की जायेगी। एक वरीयता				
	क्रम के समस्त छात्र/				
	छात्राओं को वितरण के				
•	पश्चात ही बजट की				
	उपलब्धता की सीमा तक				
	अगले वरीयता क्रम के				
	छात्र/छात्राओं को धनराशि				
1	वितरित की जायेगी। यह				
	क्रम (क) से (च) तक जारी				

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अर्थात सर्वप्रथम रहेगा । श्रेणी (क) के संस्थान ''केन्द्र अथवा राज्य सरकार विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण में अध्ययनरत संस्थाओं'' नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। की उपलब्धता के बजट अनुसार धनराशि सर्वप्रथम श्रेणी (क) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संत्रुप करने के पश्चात् श्रेणी (ख) के संस्थानों में छात्र/छात्राओं अध्ययनरत को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त श्रेणी (ख) के संस्थानों ''केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों'' अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट उपलब्धता के अन्सार धनराशि श्रेणी (ख) संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संत्रुप्त करने के पश्चात् श्रेणी (ग) के संस्थानों में अध्ययनरत

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त श्रेणी (ग) ''निजी क्षेत्र के शिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें जिनकी श्ल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है'' अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) की छात्र/छात्रायें। बजट अनुसार उपलब्धता के धनराशि श्रेणी (ग) अध्ययनरत में संस्थानों छात्र/छात्राओं संत्रप्त को करने के पश्चात् श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (घ) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, परन्त् सक्षम स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं'' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। वजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतुम करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचाह्मित
धनराशि श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान 'निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
(च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित
THATIAN AN MARK THEFT
पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना
स्वयं निर्धारित किये जाने
हेतु अधिकृत है'' में
अध्ययनरत नवीनीकरण के
छात्र/छात्रार्ये तत्पश्चात् उनमें
अध्ययनरत नवीन (फ्रेश)
छात्र/छात्रायें।
11 1- प्रत्येक वरीयताक्रम के 11
(ii) अन्दर छात्रों का चयन (ii) 1- विलोपित
उसके परिवार की कुल
वार्षिक आय, विगत कक्षा
के प्राप्तांक प्रतिशत एवं
समूहवार पाठ्यक्रम के
अनुसार वेटेज अंक प्रदान
कर निम्नलिखित रीति से

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		किया जायेगा -					
						(İ)-	विलोपित
						(1)-	19011901
		/i> → → →					
		(İ)- प्रत्येक छात्र को					
		विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर वेटेज				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
		प्रातरात क बराबर वटज अंक प्रदान किये जायेंगे।					
		यदि प्राप्तांक का प्रतिशत					J
		दशमलव में आता है तो					
		उसकी गणना दशमलव के					
		दो अंक तक की जायेगी।					
		उदाहरण स्वरूप यदि किसी					
		छात्र/ छात्रा द्वारा गत			10		0.10
		परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक		2		(ii)-	विलोपित
		प्राप्त होते हैं, तो उसे	>				
		प्राप्तांक प्रतिशत के आधार					
		पर 45 वेटेज अंक दिये					
		जायेंगे।					
		(İİ)-समूहवार पाठ्यक्रम					
		के अंक-					
		क्र0 समूहवार वेटेज					
		सं0 पाठ्यक्रम अंक					
		1 समूह-1 1					
		2 समूह-2 4					
~(1.	3 समूह-3 7					
X	7	4 समूह-4 10					
11 (İİ)		2- प्रत्येक छात्र/छात्रा को		11 (İİ)		2-	विलोपित
11 (11)		उसके विगत कक्षा के					
		प्राप्तांक प्रतिशत के आधार					
		पर प्राप्त वेटेज अंक एवं					
		सम्रह्वार पाठ्यक्रम के					

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

					Г		1
			अनुसार प्राप्त वेटेज अंक को				
			जोड़कर संयुक्त वेटेज अंक				
			तैयार किया जायेगा। सबसे				
			अधिक संयुक्त वेटेज अंक				
			प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा				
			को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं				
			शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि				
			का वितरण किया जायेगा			• (
			तदोपरान्त घटते हुए क्रम में				
			बजट की उपलब्धता तक				
			वितरण किया जायेगा।				
			3- छात्र/छात्राओं के कुल			3-	विलोपित
			वेटेज अंक एक समान होने		10		
			की दशा में अभ्यर्थी की				
			आयु को वरीयता दी		03		
			जायेगी, जिसमें सबसे	4			
			अधिक आयु के छात्र/छात्रा				
			को सबसे पहले वितरण				
			किया जायेगा तत्पश्चात				
			छात्र/छात्रा की आयु के				
			घटते हुए क्रम (अवरोही				
			क्रम) में वितरण किया				
			जायेगा।				
			4- इसके पश्चात भी यदि			4-	विलोपित
			कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक				
		10	एवं आयु में एक समान होते				
	~*()	7	हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के				
1			अल्फाबेटिक (Ato Z)				
			क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क				
			प्रतिपूर्ति की धनराशि का				
			वितरण किया जायेगा।				
			5- छात्र/छात्राओं के वेटेज			5-	विलोपित

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1	1					
		अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक				
		क्रम में एक समान होने की				
		दशा में प्रथम आगत प्रथम				
		पावत के आधार पर				
		छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति				
		की धनराशि का वितरण				• . (
		किया जायेगा। प्रथम आगत				
		का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा				
		आनलाइन आवेदन फार्म				
		भरने की तिथि व समय से				
		किया जायेगा।				
	11	1- सर्वप्रथम समस्त			11	1- सर्वप्रथम कक्षा-11 एवं 12 के
	(iii)	वरीयता श्रेणी के शिक्षण		10	(iii)	उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग
		संस्थानों (शासकीय,				(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को
		शासकीय सहायता प्राप्त		0)		छोड़कर) के ऐसे छात्र जो प्रदेश के
		एवं निजी क्षेत्र के मान्यता	4			शिक्षण संस्थानों (शासकीय,
		प्राप्त शिक्षण संस्थान) में		J		शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी
		अध्ययनरत कक्षा-11 व	7			क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण
		12 तदोपरान्त गुरप-४ के				संस्थान) में अध्ययनरत हों एवं
		अवशेष पाठ्यक्रमों में				जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा
		अध्ययनरत् छात्र/				न्यूनतम 50 प्रतिशत तक अंकों
		छात्राओं के नवीनीकरण				के साथ उतीर्ण कर ली हो, को
		हेतु पात्र छात्रों को				दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ
		छात्रवृत्ति एवं शुल्क				अनुमन्य होगा।
		प्रतिपूर्ति की धनराशि का				2- तदोपरान्त कक्षा-11 व 12 को
	10	वितरण किया जायेगा।				छोड़कर अन्य दशमोत्तर पाठ्यक्रमों
	7	2- तदोपरान्त समस्त				के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक
		वरीयता श्रेणी के शिक्षण				पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे
		संस्थानों (शासकीय,				छात्र जो प्रदेश की विभिन्न शिक्षण
		शासकीय सहायता प्राप्त				संस्थानों (शासकीय, शासकीय
		एवं निजी क्षेत्र के मान्यता				सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के
		प्राप्त शिक्षण संस्थान) में				मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) में
		अध्ययनरत् कक्षा-11 व				अध्ययनरत हों एवं जिन्होंने गत

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

12 तदोपरान्त गुरप-4 के अवशेष पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/ छात्राओं के नवीन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा।

3- तत्पश्चात दशमोत्तर कक्षाओं के 11(İİ) में वर्णित वरीयताक्रम में अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु नवीनीकरण एवं नवीन (फ्रेश) छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति का वितरण घटते हुए वेटेज अंक के आधार पर बजट की उपलब्धता तक किया जायेगा।

4- सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठयक्रमों में एक बार वितरित की गयी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम वर्षान्वर्ष समाप्ति तक शर्ती निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा नवीनीकृत तक

परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण की हो. साथ दशमोत्तर छात्रवृत्ति लाभ का अनुमन्य होगा। 3- यदि कक्षा 11-12 के अतिरिक्त दशमोत्तर पाठयक्रमों अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में उपरोक्त मानक के आधार पर धनराशि कम पड़ती है तो उपरोक्त बजट की सीमा में यह प्रतिशत ५० प्रतिशत अंक अधिक हो सकता है और यदि कक्षा 11-12 के अतिरिक्त अन्य दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में उपरोक्त मानक के आधार पर वितरण के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो कक्षा-११ एवं १२ के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेत् बजट की उपलब्धता तक यह प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम भी हो सकता है। 4- इसी क्रम में श्ल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 एवं 12 के उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग छोडकर) के प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता शिक्षण प्राप्त में अध्ययनरत संस्थान) छात्र/छात्राएं, जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली हो, को

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगी। कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में प्रथम बार छात्रवृत्ति की उन्नमन्य होगा। 5- प्रदेश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों (शासकीय, शासकी आवेदन करने वाले छात्र महायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) विवीनीकरण का आवेदन कक्षा-11 व 12 को छोड़कर अन् सराने के पात्र होंगे, चाहे
प्रथम बार छात्रवृति की अानलाइन प्रणाली में संस्थानों (शासकीय, शासकी अावेदन करने वाले छात्र अगले वर्ष हेतु नवीनीकरण का आवेदन भरने के पात्र होंगे, चाहे
आनलाइन प्रणाली में संस्थानों (शासकीय, शासकी सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) विवीनीकरण का आवेदन भरने के पात्र होंगे, चाहे दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में अन
आवेदन करने वाले छात्र अगले वर्ष हेतु नवीनीकरण का आवेदन भरने के पात्र होंगे, चाहे सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र स्थान) व कक्षा-11 व 12 को छोड़कर अन्
अगले वर्ष हेतु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) व नवीनीकरण का आवेदन भरने के पात्र होंगे, चाहे दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में अन
नवीनीकरण का आवेदन कक्षा-11 व 12 को छोड़कर अन् भरने के पात्र होंगे, चाहे दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में अन
भरने के पात्र होंगे, चाहे दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में अन
छात्र को विगत वर्ष में पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछ
धनराशि प्राप्त हुई हो या वर्ग को छोड़कर) के अध्ययनर
न प्राप्त हुई हो। ऐसे समस्त छात्रों को जिन्होंने ग
परीक्षा में न्यूनतम 65 प्रतिश
अंक प्राप्त किये हों, को शुल
प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ला
अनुमन्य होगा।
6- यदि कक्षा 11-12 के अतिरिः
अन्य पाठ्यक्रमों में उपरोक्त मान
के आधार पर धनराशि कम पड़त
है तो उपरोक्त बजट की सीमा
यह प्रतिशत अन्य दशमोत्त
कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों
अंक 65 प्रतिशत से अधिक भी व
सकता है और यदि उपरोक्त मान
के आधार पर वितरण के पश्चा
धनराशि अवशेष बचती है तो य
प्रतिशत बजट की उपलब्धता त
65 प्रतिशत से कम भी हो सकत
है, किन्तु किसी भी दशा में 5
प्रतिशत अंक से कम नहीं होगा।
नोट १-दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं नोट १- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल
- शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत - प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राप्तां
उक्त वरीयता श्रेणी, प्राप्तांक/ आयु, अल्फाबेटिक आधार प

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पाठयक्रम समूह के संयुक्त वेटेज, आय्, अल्फाबेटिक आधार पर प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान जायेगा रखा सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय। 2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण को हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय को 02 पतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।

केन्द्र राज्य लखनऊ उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम आधार पर नवीनीकरण एवं प्रवेशित छात्र/छात्राओं को अलग-अलग स्रजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार /बैंकवार) के विवरण को हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्टकापी, छात्र/छात्राओं के में धनराशि बैंक खातों

आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय।

2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर छात्र/छात्राओं को अलग-अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/ बैंकवार) विवरण को हस्ताक्षरित हाई एवं साफ्टकापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेत् निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ उपलब्ध करायी जायेगी। (3)अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय विधान मण्डल द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/ शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं को विहित वरीयता श्रेणी नियम-11 के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

				1	I		l ~
			अंतरित किये जाने हेतु				लम्बित रहती है तो वह देयता
			निदेशालय, पिछड़ा वर्ग				अगले वितीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं
			कल्याण, ५०प्र०, लखनऊ				की जायेगी।
			को उपलब्ध करायी जायेगी।				(4) वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत
							आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये
							पुनर्विनियोग के माध्यम से अथवा
							राज्य के सीमित वितीय संसाधन
							के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के
							माध्यम से अतिरिक्त प्राविधान
							कराया जा सकता है।
							0.
							(5) अन्य पिछड़े वर्ग(अल्पसंख्यक
					\		पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर
					C		छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति
					03		योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में
				6			विधान मण्डल द्वारा आय-व्ययक
					5		में प्राविधानित धनराशि की सीमा
				7			तक नियमावली के प्राविधानों/
							शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र
			CO				छात्र/छात्राओं को विहित वरीयता
			2				श्रेणी नियम-11 के आधार पर
		_	Ma.				लाभान्वित किया जायेगा।
			(6),				योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने
			\ \ \				पर यदि पात्र छात्र की देयता
		•					लम्बित रहती है तो वह देयता
		1.					अगले वितीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं
		7					की जायेगी।
15-	अनियमि	(ii)		1	अनियमित	(ii)	10- छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष
	त ताएं			5	ताएं पाये		के दौरान, वह अध्ययन जिसके
	पाये			_	जाने पर		लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी
	जाने पर				FIR दर्ज		गयी है, छोड़ दिया जाता है तो
	FIR				कराना,		छात्र को छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति
	दर्ज				, 		

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

							4
	कराना,				छात्रों/		की धनराशि प्रदान नहीं की
	छात्रों/				शिक्षण 		जायेगी/ वापस करनी होगी। यदि
	शिक्षण				संस्थानों		छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा
	संस्थानों				को काली		अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी
	को काली				सूची में		विषयों में अनुपस्थित रहता है या
	सूची में				डालना		परीक्षा/ विषयों में उपस्थिति दर्ज
	डालना				तथा		कराता है किन्तु सभी विषयों में
	तथा				मान्यता		शून्य अंक प्राप्त करता है तो
	मान्यता				निरस्त		छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की
	निरस्त				कराना।		सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि
	कराना।						धनराशि भुगतान की गयी है तो
							छात्र/संस्था को धनराशि वापस
					10		करनी होगी।
16		1	11- छात्रवृत्ति एवं ल्क	1	03	1	11- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति
		(ii)	प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन	6		(ii)	हेतु ऑनलाइन आवेदन निर्धारित
			आवेदन निर्धारित तिथि		5		तिथि तक वेबसाइट http://
			तक वेबसाइट http://	7			scholarship.up.nic.in के माध्यम
			scholarship.up.nic.in के				से ही केवल भरा जायेगा। किसी
			माध्यम से ही केवल भरा				अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन
			जायेगा। किसी अन्य माध्यम				पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा
	संबंधित		से भरे गये फार्म मान्य नहीं		संबंधित		आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र
	शिक्षा		होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किया		शिक्षा		निर्धारित तिथि के पश्चात
	विभागों		गया आवेदन लॉक हो जाने		विभागों		एन0आई0सी0 द्वारा लॉक कर
	का		की दशा में परिवर्तनीय नहीं		का		दिया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा
	दायित्व	10	होगा।		दायित्व		डाटा लॉक किये जाने के उपरान्त
		2	(· · · · ·				किसी भी दशा में किसी स्तर पर
							परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन
							डाटा में छेड़-छाड़ किये जाने पर
							आई0टी० एक्ट के तहत
							सम्बन्धित के विरूद्ध नियमान्सार
							कार्यवाही की जायेगी
							ווידווס חיו סווידיוו
L	1		<u> </u>	1	J	<u> </u>	

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		, ,]		
	1	प्रत्येक छात्र/छात्रा को			1	प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के
	(Vii)	छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में			(Vii)	आवेदन पत्र में आधार कार्ड नम्बर
		आधार नम्बर व इनरोलमेंट				(वैकल्पिक) व इनरोलमेंट नम्बर
		नम्बर अंकित करना होगा				अंकित करना होगा तथा अपने
		तथा अपने अभिलेखों को				अभिलेखों को डिजीटल लॉकर में
		डिजीटल लॉकर में रखना				रखना होगा। इसके लिये आवेदन
		होगा। इसके लिये आवेदन				करने वाले समस्त छात्रों को अपने
		करने वाले समस्त छात्रों को				समस्त अभिलेखों को स्कैन
		अपने समस्त अभिलेखों को				कराकर निर्धारित प्रक्रियानुसार
		स्कैन कराकर निर्धारित				डिजीटल लॉकर में रखा जायेगा
		प्रक्रियानुसार डिजीटल लॉकर				जिससे स्कूरटनी में उनके आवेदन
		में रखा जायेगा जिससे				पत्र में अंकित सूचनाओं का
		स्कूरटनी में उनके आवेदन		10		मिलान किया जा सके।
		पत्र में अंकित सूचनाओं का				
		मिलान किया जा सके।		03		
			4			
	3	बैंक खाते में धनराशि		J	3	बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण
	(X)	के अन्तरण का			(X)	का reconcilation कराना। यह
		reconcilation कराना।				कार्य उसी वितीय वर्ष में वित
		यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में				नियंत्रक/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति
		पूर्ण कर लिया जाय।				/आहरण वितरण अधिकारी
		VO.				मुख्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया
						जाय।
	5	राज्य एन0आई0सी0 स्तर			5	राज्य एन०आई०सी० द्वारा विभाग
	(Vii)	पर उपलब्ध बजट के आधार			(Vii)	में उपलब्ध बजट के आधार पर
	Q	पर जो बेनीफिशरीज फाइल				दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क
		जिस प्रकार आय, ग्रुप एवं				प्रतिपूर्ति की बेनीफिशरी फाइल
		गतपरीक्षा के अंको के आधार				नियमावली के नियम-5 (X i) व
		पर वेटेज अंक प्रदान करते				नियम-11 में वर्णित प्राविधानों के
		हुए तैयार की जाए, उसका				अनुसार तैयार की जाये तथा
		छात्रवार विवरण छात्रवृत्ति				उसका छात्रवार विवरण छात्रवृत्ति
		सम्बन्धी वेबसाइट पर				सम्बन्धी वेबसाइट पर अपलोड
		अपलोड किया जाए।				किया जाए।
i			1			

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

21	विशेष			2	विशेष	मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च
	प्रकरणों			1	प्रकरणों	न्यायालय/मा0राज्यपाल/मा0
	पर				पर विचार	मुख्यमंत्री/मा० मंत्री, पिछड़ा वर्ग
	विचार				करने हेतु	कल्याण/मुख्यसचिव/मा० राष्ट्रीय
	करने हेतु				समिति के	पिछड़ा वर्ग आयोग के ऐसे
	समिति				गठन की	प्रकरणों पर शासन स्तर पर
	के गठन				स्वीकृति	विचार हेतु निम्नलिखित समिति
	की					गठित की जाती है:-
	स्वीकृति					१- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग
						कल्याण - अध्यक्ष
						२- प्रमुख सचिव, वित्त अथवा
						नामित प्रतिनिधि- सदस्य
					10	3- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण,
					C	५०प्र० - सदस्य
					03	4- निदेशक द्वारा नामित
						अधिकारी - सदस्य
						5- छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल
				J		(मुख्यालय)- सदस्य/सचिव
						नियमावली में अंकित
			C0,			प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने
						वाले छात्रों के प्रकरण पर उक्त
			Mo.			समिति विचार करेगी एवं छात्रवृत्ति
		\	181			व शुल्क प्रतिपूर्ति देने अथवा न
						देने के सम्बन्ध में सकारण
						लिखित आदेश पारित करेगी।
		7.				धनराशि भुगतान किये जाने
	X	7				हेतु लिये गये निर्णय के उपरान्त
						मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त
						शासन द्वारा चालू वितीय वर्ष के
						बजट से धनराशि व्यय की
						अनुमति प्रदान की जायेगी।
						समिति की बैठक
						आवश्यकतानुसार होगी।

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 जनवरी,2013, शासनादेश दिनांक 14 फरवरी,2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 नवम्बर, 2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 सितम्बर,2014 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 अगस्त,2016 के अन्य नियम यथावत् लागू रहेगें। कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

महेश कुमार गुप्ता प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या-20/2017/902(1)/64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013-तद् दिनांक</u> ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ न्याय /उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ ।
- 4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियाँ समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित समस्त अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।
- 6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7. मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 8. नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली,उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 9. समस्त उपनिदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,उत्तर प्रदेश ।
- 10. समस्त जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
- 11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से, (राम सुमेर) उप सचिव ।

⁻¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

⁻²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।